प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना - रोजगार को नई दिशा

—ललन कुमार महतो

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की एक प्रमुख उपलब्धि आधारित कौशल प्रशिक्षण योजना है। कौशल प्रमाणीकरण एवं प्रोत्साहन की इस योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उपलब्धि-आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार पाने तथा अपनी आजीविका अर्जित करने योग्य बनाना है। इस योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने वाले प्रशिक्षुओं को मौद्रिक प्रोत्साहन तथा प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) भारत में सार्वजनिक–निजी भागीदारी की अपनी तरह की एक अनूठी संस्था है। इसका लक्ष्य विशाल, गुणवत्तापूर्ण, लाभ के लिए व्यावसायिक संस्थानों के निर्माण के उत्प्रेरण के द्वारा कौशल विकास को बढ़ावा देना है। एनएसडीसी व्यावसायिक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य समर्थन प्रणाली जैसे गुणवत्ता आश्वासन, सूचना प्रणाली और या तो प्रत्यक्ष या भागीदारी के माध्यम से संस्थाओं के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के योग्य बनाना है। एनएसडीसी उद्यमों, कंपनियों और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संगठनों को धन उपलब्ध कराने के माध्यम से कौशल विकास में एक उत्प्रेरण के रूप में कार्य करता है। निजी क्षेत्र की पहल को बढ़ाने, सहयोग प्रदान करने और उनके मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए यह उपयुक्त मॉडल का विकास भी करेगी। एनएसडीसी के दायरे और व्यवहार्यता की अपनी समझ के अंतर्गत 21 क्षेत्रों के लिए विभेदित फोकस हर क्षेत्र को निजी निवेश के लिए आकर्षक बना देगा।

विज़न

एनएसडीसी की स्थापना एक राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के हिस्से के रूप में भारत के सभी क्षेत्रों में कुशल श्रमशक्ति की मांग को पूरा करने और कौशल की मांग और आपूर्ति के बीच मौजूदा खाई को दूर करने के उद्देश्य से की गई है। तत्कालीन केन्द्रीय वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण (2008–09) में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के गठन की घोषणा की "एक मिशन के रूप में एक विश्वस्तरीय कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है जो एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी कौशल प्रदान करने की चुनौती से निपटने का कार्य करेगा। इस मिशन की संरचना और नेतृत्व इस प्रकार का होना चाहिए कि इस कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाने हेतु सम्पूर्ण देश में फैलाया जा सके।"

मिशन

- महत्वपूर्ण उद्योगों की भागीदारी के माध्यम से कौशल को

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत बनाना और मानकों, पाठ्यक्रमों और गुणवत्ता आश्वासन के लिए आवश्यक ढांचे का विकास करना।

- उपयुक्त सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल से कौशल विकास के लिए निजी क्षेत्र की पहल को उन्नत करना, सहयोग देना और समन्वय स्थापित करना और निजी क्षेत्र से महत्वपूर्ण परिचालन और वित्तीय भागीदारी के लिए प्रयास करना।
- समाज के वंचित वर्गों और देश के पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना, ताकि उन्हें गरीबी के दुश्चक्र से बाहर निकाला जा सके। इसी तरह से, असंगति या अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों पर पर्याप्त ध्यान देना।
- वित्तपोषण प्रदान कर एक "बाजार निर्माता" की भूमिका निभाना, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां बाजार तंत्र अप्रभावी या गायब है।
- एक बंद प्रभाव के विरुद्ध एक बहुसंख्यक या उत्प्रेरण प्रभाव प्रदान करने वाली पहलों को प्राथमिकता देना।

उद्देश्य

मुख्य रूप से कौशल विकास कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की पहल को बढ़ावा देने के माध्यम से, वर्ष 2022 तक भारत में 500 मिलियन लोगों के स्किलिंग/अप–स्किलिंग के समय लक्ष्य (30 प्रतिशत) को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देना और धन उपलब्ध कराना है।

एनएसडीसी का गठन कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा एक गैर–लाभ वाली कंपनी के रूप में किया गया है। इसका इक्विटी आधार 10 करोड़ रुपये का है, जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 49 प्रतिशत है और शेष 51 प्रतिशत निजी क्षेत्र का भाग है।

बेहतर निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, एनएसडीसी को एक संरचना और प्रशासन मॉडल की आवश्यकता है जो इसे स्वायत्तता, एक निश्चित आकार और निरंतरता प्रदान करें। इस प्रकार इस संस्था में एक स्तरीय निर्णय लेने की संरचना है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :–

राष्ट्रीय कौशल विकास कोष (एनएसडीएफ)

- निदेशक मंडल
- बोर्ड उप समितियां
- कार्यकारी परिषद्

एनएसडीसी के परिचालन कार्यों और रणनीतियों में प्रत्येक स्तर की अपनी एक स्पष्ट भूमिका है और उन सभी का लक्ष्य बढ़ी हुई लचीलता और प्रभावशीलता के साथ, संस्था का उद्देश्य निजी क्षेत्र के कौशल विकास कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना और उन्हें उत्प्रेरित करना है।

इस 15 सदस्यीय बोर्ड में 6 सदस्य सरकार द्वारा नामांकित है, जिसमें से एक निगम का अध्यक्ष (निजी क्षेत्र से) और 9 अन्य निजी क्षेत्र के सदस्य हैं। एनएसडीएफ एक 100 प्रतिशत सरकारी ट्रस्ट है जो एनएसडीसी में निवेश करती है और पेशेवर फंड प्रबंधकों द्वारा संचालित किए जाते हैं।

एनएसडीसी वैसे कार्यों को शुरू करती है या उनके लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है जिसका बहुगुणित प्रभाव होता है, हालांकि यह क्षेत्र में वास्तविक संचालक के रूप में प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करती है। ऐसा करते हुए यह कौशल विकास में उद्योग के सभी पहलुओं को शामिल करने का प्रयास करती है।

प्रत्यक्ष रूप से अनेक कार्यों का शामिल होना या वर्तमान में किए जा रहे कार्यों की मात्र अनुकृति करने के बजाय, इस विचारधारा का उद्देश्य बहुसंख्यक हितधारकों के साथ साझेदारी स्थापित करना और वर्तमान प्रयासों को आगे बढ़ाना है। लगभग 150 मिलियन लोगों को कुशल और अधिक कुशल बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एनएसडीसी ने निम्नलिखित उपायों पर ध्यान केन्द्रित किया है :–

- बहुत कम कीमत, उच्च गुणवत्ता के आधुनिक व्यावसायिक मॉडल का विकास करना।
- पर्याप्त निजी निवेश को आकर्षित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि इसकी निधि वृहद् रूप से चक्रित होती रहे, जैसे–ऋण या इक्विटी, बजाय अनुदान प्रदान करने के।
- अपने लिए लाभ स्थिति का निर्माण करना।
- एक मजबूत कोष का निर्माण करना।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, एनएसडीसी तीन महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह कर रही है।

अनुदान और प्रोत्साहन

सटीक अर्थों में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें या तो ऋण या इक्विटी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, अनुदान प्रदान करना और चयनित निजी कार्यों (उपक्रमों) को वित्तीय इंसेंटिव के द्वारा सहयोग प्रदान करना, कर में छूट आदि के द्वारा उनकी वित्तीय क्षमता को सशक्त बनाना है। वित्तीय सहयोग की यथार्थ प्रकृति (इक्विटी, ऋण और अनुदान) क्षेत्र (सेगमेंट) की सुदृढ़ता या आकर्षण (उपयोगिता) या कुछ हद तक संस्था (लाभ अर्जित करने के लिए निजी, गैर–लाभ के लिए उद्योग एसोसिएशन या गैर–लाभ वाली एनजीओ) के प्रकार पर

निर्भर करता है। समय बीतने के साथ, एनएसडीसी का उद्देश्य मजबूत स्थायी बिजनेस मॉडल का निर्माण कर अपने अनुदान प्रदान करने की भूमिका को कम करना है।

सहयोग सेवा को लागू करते हुए

एक कौशल विकास संस्था को अनेक इनपुट और आउटपुट सेवाओं जैसे पाठ्यक्रम, फैकल्टी और उनका प्रशिक्षण, मानक और गुणवत्ता का वादा, तकनीकी प्लेटफार्म, छात्रों के प्लेसमेंट की कार्यप्रणाली आदि की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ सहयोग सेवा को लागू करने में एनएसडीसी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है और ऐसा करने के लिए वह उद्योग एसोसिएशन के साथ मानक और प्रमाणन प्रणालियों की स्थापना कर रही है।

आकार देना/निर्माण करना

निकट अर्थों में, एनएसडीसी सक्रिय रूप में कौशल विकास में निजी क्षेत्र की वृहद स्तर पर भागीदारी के लिए सहयोग प्रदान करेगी। एनएसडीसी महत्वपूर्ण कौशल समूहों की पहचान करेगी, कौशल के विकास के लिए मॉडल का विकास करेगी और इन प्रयासों में सहयोग प्रदान करने के लिए संभावित निजी क्षेत्रों को आकर्षित करेगी।

कौशल विकास

वर्ष 2022 तक 150 करोड़ लोगों को कौशल/कौशल उन्नयन प्रदान करने की चुनौती से निपटने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक सुधार के साथ अनुपूरक कौशल विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि, दोनों की आवश्यकता है। एनएसडीसी मुख्य रूप से अनुपूरक कौशल के विकास पर ध्यान केन्द्रित करती है और शिक्षा प्रणाली के भीतर निर्बाध मार्ग के निर्माण के लिए प्रयास करती है।

निजी क्षेत्र की पहल को प्रोत्साहित करना

अनुपूरक कौशल विकास को मजबूत बनाने के लिए एनएसडीसी निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले प्रयासों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केन्द्रित करती है, जिसमें गैर–लाभ और लाभयुक्त दोनों प्रकार का प्रयास शामिल है और इसका लक्ष्य ऐसे मॉडल का निर्माण करना है, जिसे प्राप्त करना संभव हो।

एनएसडीसी ने लक्षित क्षेत्र के आधार पर निजी क्षेत्र की पहल का समर्थन करने के लिए एक विभेदित दृष्टिकोण अपनाया गया है। कौशल समूह की मार्केटिंग और छात्र जनसंख्या की आय के स्तर के आधार पर तीन ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर एनएसडीसी ने ध्यान केन्द्रित किया है :–

आकर्षक क्षेत्र (खण्ड) : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बाजार स्वतः कार्य करता है, एनएसडीसी मात्र प्रतिक्रियाशील भूमिका निभाता है और विभिन्न साझेदारों की भागीदारी को बढ़ाता है। यह निकट भविष्य में एनएसडीसी का मुख्य ध्यान केन्द्रित क्षेत्र है और इसका लक्ष्य इस क्षेत्र को निजी निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाना है।

पूर्णतः अनाकर्षक क्षेत्र : समय बीतने के साथ, एनएसडीसी सरकारी विभागों के साथ मिलकर इस क्षेत्र के लिए कार्य करने का इच्छुक है और इस प्रकार यह ऐसे बिजनेस मॉडल का विकास करना चाहती है जो इस क्षेत्र के उद्यमियों को आकर्षित क्षेत्र में ले जा सकें।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रमुख तत्व निम्न हैं:

- **मानक :** उद्योगों द्वारा संचालित क्षेत्रक कौशल परिषदों द्वारा निर्धारित मानकों (राष्ट्रीय वृत्तिक मानक–NSO) एवं विशिष्ट रोजगारों हेतु अर्हता मानक को अपनाते हुए प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रशिक्षण का मूल्यांकन राष्ट्रीय एवं वैश्विक मानकों के आधार पर तीसरे पक्ष द्वारा किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रमों को लक्ष्यों से जोड़ना :** कौशल प्रशिक्षण के लक्ष्य केन्द्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों जैसा कि – स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आदि से विभिन्न प्रकार के रोजगार अवसरों की सृजित मांग के साथ जोड़ दिए जाएंगे।
- **प्रत्यक्ष निधि हस्तांतरण :** सरकारी योजनाओं में आवंटित धनराशि के लाभार्थियों तक पहुंचने से पहले ही हो जाने वाली बंदर–बांट को रोकने के लिए इस योजना में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूरा कर लेने के उपरान्त पारितोषक राशि का भुगतान सीधे उनके खातों में किया जाएगा। प्रशिक्षुओं एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाली इकाई के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होगा। निधियों का हस्तांतरण पूरी तरह से पारदर्शी होगा। डेबिट कार्ड एवं दुर्घटना बीमा से सम्बद्ध विशिष्ट सुविधा के प्रावधान के साथ यह योजना वित्तीय समावेशन भी सुनिश्चित करेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी की विशिष्ट पहचान हेतु आधार कार्ड को प्रयुक्त किया जाएगा। इससे कोई भी व्यक्ति केवल प्रोत्साहन राशि पाने के लालच में एक से अधिक ट्रेडों में प्रशिक्षण नही ले सकेगा। अपात्र लोगों के प्रवेश को भी रोका जा सकेगा।
- **मांग–आधारित लक्ष्य :** कौशल अंतराल अध्ययनों एवं कौशल मांग के मूल्यांकन पर आधारित कौशल प्रशिक्षण के लक्ष्यों का निर्धारण राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा क्षेत्रक विशिष्ट कौशल परिषदों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके किया जाएगा। चयनित अभ्यार्थियों तथा प्रशिक्षण के लक्ष्यों का आवंटन यथासंभव जिला/शहरवार किया जाएगा। इस कार्य को प्रधानमंत्री कौशल विकास

योजना की संचालन समिति अपनी देखरेख में पूरा कराएगी।

- **युवाओं पर लक्षित प्रशिक्षण :** प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण मुख्य रूप से 10वीं एवं 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़कर श्रम बाजार का हिस्सा बन चुके युवाओं पर लक्षित होगा। इसलिए प्रशिक्षण के राज्यवार/जिलावार लक्ष्य निर्धारित करते समय उस राज्य/जनपद के 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं की संख्या को भी ध्यान में रखा जाएगा। वामपंथी आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों, पूर्वोत्तर के राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं के कौशल विकास हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिलाना इस योजना की प्राथमिकताओं में से एक है।
- **पूर्व ज्ञान की पहचान करना :** इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रशिक्षणार्थियों के कौशल, पूर्व कार्यानुभव, दक्षता एवं क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान भी चयनित अभ्यर्थियों को मौद्रिक पारितोषिक दिया जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि अनौपचारिक क्षेत्रों में पहले से ही रोजगाररत् श्रमिकों के कौशल, दक्षता तथा क्षमता के स्तर की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इससे इन श्रमिकों के कौशल प्रोन्नयन तथा पुनःकौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी। पूर्व ज्ञान की पहचान प्रक्रिया में सर्वाधिक ध्यान उन कार्यों/रोजगार अवसरों/क्षेत्रकों पर केन्द्रित होगा जहां कार्यरत् श्रमिकों के कौशल उन्नयन की सर्वाधिक आवश्यकता है। सघन प्रचार–प्रसार द्वारा श्रमिकों को यह आभास कराए जाने का प्रयास किया जाएगा कि वर्तमान अध्यवसाय/वृत्ति में भी उनके कौशल विकास की आवश्यकता है तथा यह उनके लिए सर्वहितकारी है। इसका उद्देश्य श्रम बाजार में कौशल प्रशिक्षण को मानक आकांक्षापूर्ण बनाना है।
- **मौद्रिक पारितोषिक राशि में विभिन्नता :** एक ही क्षेत्रक के भीतर विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं वाले कार्यों/पदों के लिए मौद्रिक पारितोषिक में भी भिन्नता होगी। पारितोषिक राशि का निर्धारण प्रशिक्षण की लागत, प्रशिक्षणार्थियों की वेतन/मजदूरी प्राप्त करने की इच्छा तथा अन्य उपादेय कारकों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। विनिर्माण, निर्माण क्षेत्रक में प्रशिक्षण लेने वालों के लिए पारितोषिक राशि/प्रोत्साहन अधिक होगा।

प्रशिक्षण प्रदानकर्ताओं के पंजीयन हेतु व्यवस्था

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के प्रशिक्षण साझीदारों को पंजीयन से पूर्व यथोचित परिश्रमशीलता से गुजरना होगा। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के आधार पर सरकारी तथा निजी प्रशिक्षण साझीदारों का क्षेत्रक कौशल परिषदों द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत राजकीय सम्बद्ध प्रशिक्षण प्रदानकर्ताओं को भी प्रक्रिया मैन्युअल के अनुसार परिश्रमशीलता से गुजरना होगा। प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रत्येक निकाय अपने सम्पूर्ण फ्रैन्चाइजी नेटवर्क तथा तत्संबंधित अधोरचना के लिए उत्तरदायी होंगे। यही बात अनुश्रवण प्रक्रिया पर भी लागू होगी। केवल प्रथम–स्तरीय फ्रैन्चाइजी ही अनुमान्य होंगे बशर्ते कि उनकी घोषणा पहले से की गई हो तथा निर्धारित प्रक्रिया निर्देशिका के दिशा–निर्देशों के अनुसार हो जिनकी पुष्टि कर दी गई हो।

संकेन्द्रित जागरुकता निर्माण एवं संग्रहणीय क्रियाएं : इस योजना की अधिकाधिक पहुंच एवं स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय सरकारों/राज्य सरकारों/जिला पंचायतों/जिला प्रशासन तथा संसद सदस्यों के लिए जागरुकता निर्माण एवं संग्रहणीय क्रियाएं चलाई जाएगी। प्रत्येक जनपद में कौशल मेले आयोजित किए जाएंगे, जहां विभिन्न प्रकार की वृत्तियों, रोजगार अवसरों, संभावित भविष्य निर्माण पथ, आयसृजन सम्भाव्यता आदि के बारे में सूचना प्रचारित की जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल प्रोन्नयन से जुड़ी क्रियाओं एवं उपलब्ध सुविधाओं के बारे में प्रत्येक संसदीय क्षेत्र तक पहुंचना सुनिश्चित किया जायेगा। दूरदराज के क्षेत्रों तक प्रशिक्षण सुविधाओं, इसकी उपयोगिता आदि का प्रचार करने के लिए कौशल यात्राएं

निकाली जाएगी। बसों में कौशल उन्नयन से संबंधित जीवंत प्रदर्शन भी कराए जाएगे। कार्यक्रम को अधिकतम संभव क्षेत्रों तक पहुंचाने तथा सारे देश में कौशल उन्नयन हेतु एक वातावरण का सृजन करने के लिए गैर–सरकारी तथा समुदाय आधरित संगठनों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। जनसंचार माध्यमों से फेसबुक, ट्वीटर, लिंकडइन जैसे सामाजिक मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की विशिष्टकृत तथा मानवीकृत ब्रांडिंग की जाएगी तथा संचार पैकेज क्रियान्वित किया जाएगा। सतत् प्रभावोत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए प्रचार–प्रसार कार्यक्रमों की समय–समय पर जांच एवं समीक्षा भी की जाएगी।

बेहतर प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षित अनुदेशक : प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की सफलता काफी बड़ी सीमा तक प्रशिक्षण के दौरान पढ़ाए जाने वाले विषयों, सिद्धान्तों/पुस्तकीय ज्ञान को व्यावहारिक धरातल पर प्रयुक्त करने के लिए प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं में 'करो और सीखो' की व्यवस्था तथा सिखाने वाले अनुदेशकों के स्वयं के ज्ञान व अनुभव पर निर्भर करेगी। प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन/प्रमाणीकरण भी तीसरे पक्ष द्वारा कराया जाएगा। लेकिन इन सबके बावजूद देश में उच्च गुणवत्तायुक्त कौशल प्रशिक्षण हेतु एक सुसंस्थापित तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है जो उद्योगों/अध्यवसायों की मांग के अनुरूप समुन्नत पाठ्यक्रमों, बेहतर प्रौद्योगिकी प्रदत्त शिक्षण–प्रशिक्षण अनुदेशकों की समुन्नत प्रशिक्षण क्षमता से युक्त हो। सभी कौशल प्रशिक्षणों में सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण वैयक्तिक तैयारी, स्वच्छता हेतु व्यवहारवादी परिवर्तन तथा अच्छी कार्य–संस्कृति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंग होंगे।

उच्चीकृत अनुश्रवण : प्रशिक्षण प्रक्रिया के अनुश्रवण हेतु क्षेत्रक कौशल परिषद कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली संबंधित सभी प्रशिक्षण केन्द्रों का विस्तृत विवरण रखेगी तथा मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रमाणीकृत मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा प्रशिक्षण–स्थलों तथा पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन कराएंगी। प्रशिक्षणार्थियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति तथा वीडियो रिकॉर्डिंग की संभावना भी तलाशी जाएगी। क्षेत्रक कौशल परिषदें प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रमाणीकरण के लिए भी उत्तरदायी होंगी तथा यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उद्योगों/अध्यवसायों के कार्यों के गुणवत्ता पैक के अनुरूप हो। इसके अतिरिक्त क्षेत्रक कौशल परिषदें प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अनुदेशकों का भी प्रमाणीकरण करेंगी। उच्चीकृत अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की समय–समय पर समीक्षा तथा औचक निरीक्षण भी कराया जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक प्रौद्योगिकी–जनित हो सकती है तथा इसे सीसीटीवी वातावरण में भी संचालित कराया जा सकता है।

संरक्षण सहायता : सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके तथा इस योग्यता के अनुरूप रोजगार के अवसर खोज रहे व्यक्तियों की सहायतार्थ एवं मार्गदर्शन एक संरक्षण कार्यक्रम भी सृजित किया जाएगा। संरक्षकों को चिन्हित करने का दायित्व प्रशिक्षण प्रदान करने वाले निकायों का होगा। ऐसे संरक्षक प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रशिक्षणोपरान्त सहायता करेंगे। ये संरक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने वालों के बारे में ये जानकारी रखेंगे कि प्रशिक्षणोपरान्त वे क्या कर रहे हैं? उन्हें उपयुक्त रोजगार मिला या नहीं तथा प्राप्त प्रशिक्षण उन्हें किस सीमा तक आय सृजनकारी रोजगार प्राप्त करने एवं उसे बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो रहा है।

मूल्यांकन : विधिमान्य प्रमाणीकृत प्रपत्र पर आधारित प्रशिक्षुओं द्वारा प्रदत्त जानकारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की प्रभावकारिता के मूल्यांकन का वास्तविक आधार होगी।

शिकायत निवारण : प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक यथोचित शिकायत निवारण प्रणाली भी होगी। योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ऑनलाइन नागरिक पोर्टल की भी स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। यही पोर्टल वस्तुतः शिकायत निवारण का प्लेटफॉर्म होगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के सम्पूर्ण आंकड़े भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।

क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियां

भारत द्वारा इसे प्राप्त जनांकिकीय लाभांश भुनाने के लिए कार्यशील जनसंख्या की कार्य करने की योग्यता, क्षमता तथा दक्षता को बढ़ाया जाना परमावश्यक है। यह उसी दशा में संभव है जब कार्यशील जनसंख्या के कौशल में इस सीमा तक और इस प्रकार वृद्धि कर दी जाए कि वह रोजगार पाने लायक स्थिति में न केवल पहुंच जाए, वरन् अपनी सार्थकता को भी सिद्ध करें। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक आदर्श योजना के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी सफलता इससे पूर्व चलाई गई इसी प्रकार की अन्य योजनाओं जैसे कि ट्रायसम (ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण), स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना की आंशिक सफलता के संदर्भ में संदिग्ध प्रतीत होती है।

उम्मीद है कि अगर सरकार बाधाओं को दूर करने के लिए कमर कस ले तो यह योजना देश में बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हो सकती है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार व अधिवक्ता हैं।)
ई–मेलः lalan_kumar@yahoo.com